ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 3, Issue 4, April 2013 Impact Factor 2.809 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

दलित समाज की 'सामाजिक मुक्ति' का हथियार 'शिक्षा' : डॉ. अम्बेडकर

सुधा रानी
शोध छात्रा,समाजशास्त्र
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,गजरौला
अमरोहा ,उत्तर प्रदेश।

डा0 मौ0 कामिल
असि0 प्रोफेसर
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,गजरौला
अमरोहा, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा पर कुछ लोगों का अधिकार है– जिसने दलितों को शिक्षा पाने से हमेशा वंचित रखा, इसे पाने के लिए इस समाज ने बड़ा संघर्ष किया है, इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि–'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो'। ये मूल परिवर्तन है । जब तक आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दोस्त कौन है? आपका दुश्मन कौन है? इसके बाद ही आप वर्चश्वशाली वर्ग के खिलाफ सही तरह से सामूहिक संघर्ष कर सकते हैं। दलित समाज का बड़ा मुद्दा है– दलितों की मुक्ति । उसे भी समाज में ससम्मान जीने का अधिकार मिलना चाहिए। यही परिवर्तन बाबा साहेब चाहते थे। बाबा साहेब ने– 'हिन्दू कोड बिल' बनाया जो मनुस्मृतियों के सभी विरोधी नियम–कानूनों का विध्वंस करता था। बाबा साहेब इस कानून को पारित कराने के बहुत इच्छुक थे लेकिन इस व्यवस्था के विरोधी पुराधाओं ने इसे संसद में पारित नहीं होने दिया। बाबा साहेब हिन्दू कोड बिल के सन्दर्भ में कहते हैं– कि स्वतन्त्र भारत में स्त्री को भी पुरूषों की भाँति समान अधिकार चाहिए। भारत की नारियाँ कोड के पारित हो जाने पर अपने वैध तथा चिर वंचित अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। बाबा साहेब उन सभी धर्म तथा रीति–रिवाजों का विरोध कर रहे थे, जो न केवल स्त्री, बल्कि किसी भी मानव शोषण के लिए जिम्मेदार थे।

अपने लोगों को संवैधनिक और कानून बनाने के अधिकार प्राप्त करा देने के कार्य में अम्बेडकर के प्रयत्नों, उत्साह और बुद्वि का काफी हिस्सा व्यतीत होता था। फिर भी उनके मन में हमेशा यह भावना जागृत थी कि हमारे लोगों की जरूरत शिक्षा ही है। शिक्षा ही उनकी प्रगति का प्रभावी साधन है इसलिए अपने लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने तमाम साधनों का आश्रय लिया। जून 1928 में दो छात्रावास शुरू किये।

'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की कार्यकारिणी समिति की 14 जून 1928 को एक सभा बुलाकर 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' विसर्जित करने का प्रस्ताव मंजूर किया और बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 'भारतीय–बहिष्कृत–समाज–शिक्षण– प्रसारक–मंडल' शुरू करने का निश्चय किया। इस प्रस्ताव के अनुरूप अगले महीने दलितों के लिए प्राथमिक शिक्षा की मजबूत नींव पर उन्होनें 'भारतीय– बहिष्कृत–शिक्षण–प्रसारक–मंडल' की स्थापना की। अपने लड़कों की शिक्षा पर होने वाला खर्च करने की अस्पृश्य समाज की क्षमता नहीं थी। उनकी सुविध के लिए 'दलित–वर्ग–शिक्षण–संस्था ने छात्रावास खोलने का कार्य हाथ में

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 3, Issue 4, April 2013 Impact Factor 2.809 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

लिया। उस कार्य में सहायता करने के लिए डा0 अम्बेडकर ने सरकार का बडी आत्मीयता से आहवान किया।

सरकार ने 8 अक्टूबर 1928 को एक योजना सम्मत की। उसके अनुसार दुय्यम शिक्षण लेने वाले केवल अस्पृश्य वर्गीय लड़कों के उपयोग के लिए पाँच छात्रावास की योजना को हम स्वीकृति देंगे, इस तरह की घोषणा राज्यपाल ने की।

अम्बेडकर की इस शिक्षण संस्था को सन् 1861 के 'चैरिटेबल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन 'ऐक्ट' क्रमांक 21 के अनुसार स्वीकृति प्राप्त हुई। 19 सदस्यों का एक सलाहकार मण्डल था। अम्बेडकर स्वयं प्रमुख कार्यवाहक और शिवतरकर कार्यवाहक और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। उनकी कर्त्तव्य दक्षता और प्रयत्न देखकर अनायास ही सरकार के मन में उनके प्रति विश्वास निर्माण हुआ। 9 हजार रूपये वार्षिक अनुदान का प्रबन्ध किया गया। ऐसे पाँच संकल्पित छात्रावासों का प्रबन्ध देखने का कार्य सरकार ने अम्बेडकर की इस शिक्षा संस्था को सौंप दिया।

सरकार से मिलने वाला अनुदान खर्च का सन्तुलन रखने के लिए धन अपर्याप्त था। अम्बेडकर को विभिन्न स्थानों से चन्दा इकट्ठा करना ही पड़ता था। स्पृश्य हिन्दुओं की संस्थायें इस कार्य या चन्दा देने के प्रति उदासीन रहती थी। आर्थिक सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। संस्था को अपने छात्रों के रहने का प्रबन्ध करना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया था। कोई भी सवर्ण हिन्दू सहज रूप में अपना मकान किराये पर देने के लिए तैयार न था। अनेक कठिनाइयों से अम्बेडकर चिन्ताग्रस्त रहते थे। जिला लोकल बोर्ड के एक सदस्य को मनाते समय अम्बेड़कर ने एक बार कहा कि यह माना जाता है कि अस्पृश्य–उद्धार का कार्य देश के सभी प्रबुद्व लोगों का है। मंडल की सभा के सामने हमारी संस्था का प्रश्न चर्चा के लिए आने वाला है अतः आप उस सभा में उपस्थित रहे। बड़े भावस्पर्शी शब्दों में लिखा कि 'यह कार्य अस्पृश्य वर्ग का है और इसलिए वह जैसा मेरा कार्य है, वैसा ही आपका भी है।'

दूसरी बात यह है कि हिन्द की परिस्थिति के विषय में उनकी खुद की कुछ अटकले थी। सरकारी नौकरी और सेना में कनिष्ठ श्रेणी की जिन जगहों के दलित वर्ग के लिए अम्बेडकर ने माँग की थी, वे जगहे दलित वर्ग के जीवनयापन के स्तर में विस्तार करने में असमर्थ थी। अम्बेड़कर को यह मालूम था कि जितनी अधिक शिक्षा होगी उतनी ही अधिक प्रगति होगी और अपने लोगों को मौके भी उतने ही अधिक सुलभ होंगे। अम्बेड़कर को यह भी लगता था कि अपने लोगों को राजनीतिक दृष्टि से समानता और राजनीतिक क्षेत्र में सामर्थ्य प्राप्त करा देने से उनकी शिक्षा की समस्या अपने आप ही हल हो जायेगी। दलित वर्ग के लड़कों के लिए स्कूल में प्रवेश देने के विषय में जो सरकारी आदेश आते थे उनका स्कूल चालक उल्लंघन करते थे, प्रवेश को नकारते थे। इस समस्या के हल के लिए अम्बेड़कर को लड़ना पड़ा था।

षिक्षा एक पवित्र संस्था है, पाठशाला में मन सुसंस्कृत होते है। पाठशाला का मतलब है– नागरिक तैयार करने वाला पवित्र क्षेत्र। यह एक राष्ट्रीयता मानवता तथा अज्ञानरूपी अंधकार दूर करने का उदात्त कार्य है। स्कूल में समबुद्वि वाले, उदात्त, निःपक्षपाती और विशाल

हृदय वाले अध्यापक होने चाहिए। अध्यापक वर्ग राष्ट्र का सारथी है, उसके हाथ में शिक्षा की लगाम होती है। ब्राह्मण निम्न वर्ग के लोगों का तिरस्कार करते हैं, उनकी बौद्विक उन्नति के बारे में बेफिक्र रहते हैं, उन्हें जानवरों से भी बदतर समझते हैं, उन्हें हमेशा यह चेताया जाता है कि अध्ययन करना तुम्हारा काम नहीं तुम्हारा काम मेहनत मजदूरी करना है। शिक्षा का काम ब्राह्मण ही करें इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में शिक्षा के सूत्रा नहीं देने चाहिए।''

पद्दलित समाज को मनुष्य का दर्जा दिलाना, उनके आत्मसम्मान की वृद्वि करना, उन्हें आत्मोद्वार करने के लिए शक्तिशाली बनाना अम्बेड़कर का जीवित कार्य था। मनुष्य अपनी सुप्त शक्ति पर विश्वास कर उसे जाग्रत और वृद्वि कर अपना उद्वार करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो, यह उपदेश वे सामान्य मनुष्य को देते थे। मनुष्य यह न माने कि वह शहतीर है, उसका इस जगत में कोई मूल्य नहीं है। युवकों के लिए उनका उपदेश हमेशा संस्मरणीय और चिंतनीय था। वे स्वयं ही अपने भाग्य के शिल्पी हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से मतिमंद नहीं होता।

स्टार्ट समिति ने मार्च 1930 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया कि, 'यद्यपि अस्पृश्य जनता हिन्दुओं के ही धर्मकृत्य कानून और त्यौहार मनाती है। फिर भी उसे बहिष्कृत रहना पड़ता है। प्रतिरोध के कारण वह समाज में सम्मिलित नहीं हो पाती, इसीलिए वह दासता की बुरी हालत में फँसी है।' अपना यह अभिप्राय देकर कुछ सूचनायें दी। स्पृश्य हिन्दुओं के स्कूलों में अस्पृश्यों की शिक्षा अध्कि अच्छी तरह से करवाने की व्यवस्था की जायें। अस्पृश्य छात्राों के लिए निर्धारित आवासों और छात्रावृत्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाये। मिलों और रेल कारखानों में औद्योगिक शिक्षा लेने के लिए काम सीखने के इच्छुक छात्र लेने और विदेश में आंशिक शिक्षा लेने के लिए अस्पृश्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने का इंतजाम हो। यह सारा इंतजाम देखने के लिए एक स्वतन्त्र अधिकारी की नियुक्ति की जाये।

शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है और विवेकहीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। मानवीय मूल्यों की परिकल्पना शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। मानव जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, यह बात डॉ.अम्बेडकर को उस समय मालूम हुई जब वह स्वयं शिक्षा जगत् में प्रविष्ट हुए। आदमी और पशु दोनों ही प्राकृतिक रूप में जीव होते हैं, पर शिक्षित होकर आदमी पशु समान नहीं रहता और वह अपनी बौद्विक क्षमता तथा सक्रियता को सशक्त बना लेता है। शूद्रों तथा अछूतों को शिक्षा से दूर रखने का मतलब था कि उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिाय एवं वैश्यों का वर्चस्व बना रहे। वे इन्हें शिक्षा से दूर रखना चाहते थे ताकि उनसे बेगार ली जाती रहे, उनका शोषण एवं उत्पीड़न करते रहे।

शिक्षा के बजाय देश में राजनीति तथा अर्थनीति हावी है जो बड़ी ही दुखःद स्थिति है। शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा से इन्सान जाग्रत होता है और एक नये समाज का निर्माण होता है।

डॉ.अम्बेडकर ने स्कूली तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् हिन्दू समाज के धर्म ग्रन्थों का मंथन किया और यह पाया कि इस देश में वेदाध्ययन ही विद्या का आधार माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही वेदाध्ययन का अधिकार था। केवल ब्राह्मण को अध्यापन

का अधिकार था। शूद्र और स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन वर्जित था। शूद्रों के लिए वेदाध्ययन केवल वर्जित ही नहीं, बल्कि दण्डनीय अपराध था। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि शूद्र जानबूझकर वेद सुने तो उसके कानों में पिंघला हुआ शीशा डाल दिया जाये। यदि वह वेद मन्त्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट ली जाये। यदि वेद मन्त्र को याद कर ले तो उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये जाये। शिक्षा के ब्राह्ममीकरण के कारण शूद्र वर्ग अशिक्षित ही रह गया। देश की आधी आबादी स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार न होने के कारण अशिक्षा का अन्धकार फैल गया। इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव महिला वर्ग, शूद्र तथा अछूतों पर पड़ा जो एक दुखःद इतिहास है।

अशिक्षा के कारण हमारा देश मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अशिक्षा के कारण भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्वि होती गयी। स्त्रियों को शिक्षा और सम्पत्ति का अधिकार न होने के कारण स्त्री भ्रूण हत्या में वृद्वि होती गयी। देश की निर्धनता में भारी वृद्वि हुई। अशिक्षा के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बहुत दुर्गति हुई। भारत का संविधान लागू होने से दलित आदिवासियों, पिछडे और धार्मिक अल्पसंख्यकों वर्गों की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो अंग्रेजों से तो आजाद हो गये थे, लेकिन द्विजों की गुलामी से आजाद होने का कोई कानून उनके पक्ष में नहीं था।

भारतीय संविधन के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य शिक्षा पाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 45 में अशिक्षा को दूर करने के उद्देश्य से राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का निर्देश दिया। सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अनुच्छेद 46 द्वारा राज्य को समाज के दुर्बल वर्गों के विशेषतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्वि करने और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने का उपबन्ध किया।

डॉ.अम्बेडकर के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली वैधानिक बाधायें दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त विधियाँ शून्य घोषित कर दी गयी अर्थात् भारत में विधि का बल परखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा शून्य घोषित कर दी गयी तथा यह भी उपबन्ध किया गया कि राज्य भविष्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो। किसी नागरिक के विरूद्व असमानता का व्यवहार करने से रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जनस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिशोध किया। राज्य को स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध करने तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध करने का अधिकार देकर

शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया। देश के शिक्षा जगत में डॉ.अम्बेडकर ने एक क्रान्तिकारी बदलाव लाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। शिक्षा का आर्थिक उपयोग करने और रोजगार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 16 द्वारा पद और अवसर की समता प्रदान करने तथा देश का पिछड़ापन दूर करने के उद्देश्य से राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के लिए जिसे राज्यधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रवधान करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 338 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए, अनुच्छेद 350 ख के अन्तर्गत भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति इन वर्गों की दशाओं और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के बारे में अनुसंधान करेगा और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा।

आज यह दुखःद स्थिति है कि शिक्षा के नजीकरण का मार्ग खोलकर शिक्षा को महंगी शिक्षा में परिवर्तित कर दिया, जिससे शिक्षा का वैश्वीकरण हो गया। अशिक्षा के कारण और शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग लम्बे अर्से तक मेड़िकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती होने से वंचित रहे। फिर शिक्षित होने पर भी योग्य नहीं होने का झांसा देकर लम्बे अर्से तक उच्च शिक्षाओं में आने पर रोक जारी रही।

डॉ.अम्बेडकर ने जो शैक्षणिक परिकल्पना की थी, उसमें अभी भी दलित वर्ग पिछड़ा हुआ है। आज शिक्षा जगत में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये हैं, जिनमें लाभ आय जनता विशेषकर दलित एवं कमजोर वर्गों को मिलना कठिन हो गया है। उस पर भी वैश्वीकरण, निजीकरण, पूँजीवाद की मार इन्हीं दलित तथा कमजोर वर्गों पर पड़ रही है। डॉ.अम्बेडकर ने दशकों पूर्व कहा था कि राज्य का दायित्व है कि वह दलित व कमजोर वर्गों की शिक्षित करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम करें अन्यथा देश में निरक्षता, बेरोजगारी, अपराध, निर्धनता, भुखमरी आदि का प्रकोप बढ़ता जायेगा। दलित समाज में शिक्षा की ओर ध्यान तो है पर शिक्षित नवयुवकों को बेरोजगार निराशा, निरीह देखकर उनके माता–पिता दुःखी रहते है लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें अशिक्षित ही रखा जाए। शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओं, अध्किाध्कि शिक्षा से ही समस्याओं के समाधन निकलेंगे। ऐसा मानना ही डॉ. अम्बेडकर के मानववादी दर्शन का रहस्य अथवा आधार है।

सारांशतः डॉ.अम्बेडकर हिन्दू समाज व्यवस्था को 'अप्रगतिशील चरित्र' का समाज मानते थे, उनकी दृष्टि से यह बहुत ही दुःखद स्थिति थी और आज भी लगभग वही अवस्था है इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसा होने पर ही सभी सामान्य स्त्री–पुरुष विशेषतः दलित व उपेक्षित वर्ग, बराबरी का दर्जा हासिल कर पायेंगे और समान अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। वस्तुतः ब्राह्मण, बनिया आदि सभी हरिजन है किन्तु जब से इस शब्द का प्रचलन अछूतों एवं शूद्रों के लिए होना प्रारम्भ हुआ, तब से उन्होंने अपने को 'हरिजन' कहना पाप समझा। भारतीय समाज की भिन्नता यह है कि वैसे बौद्व धर्म का भारत में बड़ा सम्मान था लेकिन जैसे ही डॉ.अम्बेडकर ने

बौद्व धर्म स्वीकार किया, उसे उपेक्षणीय दृष्टि से देखा जाने लगा। क्या बात है जिसे दलित ग्रहण करता है, वह निकृष्ट हो जाता है सम्भवतः यही बात दलितवाद के साथ हो रही है।

दलित समाज का नवयुवक भी डॉ.अम्बेडकर को एक दर्शन या व्यवस्था के रूप में समझ नहीं सका। फलस्वरूप वह हताश है, अपने को छिपाकर जी रहा है। वास्तविकता से दूर, अज्ञानता, बनावट, तथा बेईमानी के वातावरण में स्वपीड़न से ग्रसित है। कुछ त्याग किये बिना, एक मौलिक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन की प्रतीक्षा में है। क्या यह संभव है? कतई नहीं, यदि संभव हुआ भी तो उसे तो उसी स्थिति में रहना पड़ेगा जिसमें वो है। दलित समाज से पोषित होकर दलितों को ही ठुकरा रहा है। शिक्षित होकर दलित समाज से अपने को अलग मानकर उन्हीं मूल्यों, आदर्शों तथा परम्पराओं का अनुसरण कर रहा है, जिनके कारण वह दलित बना और बना रहेगा। दलित युवा समाज का जीवन अन्तर्विरोधें में कसता जा रहा है। दलित नवयुवक आधुनिक बनते हैं किन्तु परम्परा से छुटकारा नहीं पाया क्रांतिकारी बाते करते हैं लेकिन छिपकर रहते हैं।

शिक्षित युवाओं को ही दलित समाज की नयी पीढ़ी को डॉ.अम्बेडकर के आन्दोलन को आगे ले जाना पड़ेगा। दलित समूह को संगठित करना पड़ेगा। परिवर्तन तभी आयेगा जब दलितों के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी, निर्णय प्रक्रियाओं में आधिपत्य होगा। आर्थिक साधनों पर नियन्त्रण होगा, और विधि निर्माण में उनका स्थान होगा। दलित राज हो, यह सम्भव नहीं लगता, लेकिन दलित राजनीति के द्वारा उन सभी निर्णय–प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है जिनके साथ दलित समाज की नयी पीढ़ी का भाग्य जुड़ा है। जितना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, दलितवाद की विचारधारा एवं राजनीति के आधर पर नयी पीढ़ी ला सकती है, उतना अन्य कोई चीज नहीं।

आज की स्थिति में कमजोर एवं दलित वर्गों का संघर्ष गतिशील है। इसके लिए यह काल सवर्ण और दलित में वैमनस्य की भावना बढ़ाने का नहीं, धर्म और धार्मिक ग्रन्थों के सहारे गाली–गलौच करने का भी नहीं अपितु यह वैचारिक संघर्ष का काल है। सभी समान विचार रखने वाले को एकत्रित होने का काल है। यह शास्त्र उठाने का काल नहीं, यह शास्त्रार्थ का काल है, क्योंकि विचार से ही विचार को परास्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जाता है, इसलिए ठोस नेतृत्व सही एवं परिपक्व हो।

दलित समाज की शक्ति एवं संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए सत्यनिष्ठ एवं चरित्रवान नेतृत्व एवं संचालन हो, और सभी दलित समूहों में पारस्परिक संचारण हो, यही अम्बेडकर–दर्शन की माँग है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. धनंजय कीर, डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन–चरित्र, पोप्युलर प्रकाशन 4648/1, अंसारी रोड–21, दरियागंज, नई दिल्ली, 110002, 2006
2. डी.आर.जाटव, डॉ.अम्बेड़कर–एक प्रखर विद्वान, ए.बी.डी.पब्लिशर्स जयपुर , 2004

3. डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर–रायटिंग एण्ड स्पीचेज़, खण्ड–2, 1982
4. अम्बेडकर, बी.आर. कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया,बहुजन कल्याण प्रकाशन,लखनऊ, 1983
5. परमार, तारा, अनसूचित जातियों के लिए अम्बेडकर की भूमिका, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 2001
6. पूरणमल, दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2002
7. कृष्णन, पी.एस.एण्ड यादव, सुषमा, डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर एवं सोशल जस्टिस, आई. आई.पी.ए. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007